न्यायालय सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सक्षम गोयल, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
93 / 2019	दावा 88, RTA	15.11.22	12.03.2024

1. मोहम्मद हुसैन पुत्र मोहम्मद इब्राहिम जाति तेली निवासी वार्ड नं. 3 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.

—वादी—

<u>बनाम</u>

1. इस्माईल पुत्र कासम जाति तेली निवासी वार्ड संख्या 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
2. जाफर हुसैन पुत्र कासम जाति तेली निवासी वार्ड 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
3. युसुफ पुत्र कासम जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
4. सबिर पुत्र कासम जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राजस्थान
5. निशा पत्नी मोहम्मद यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
6. महबूब पुत्र मोहम्मद यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
7. सलमा पत्नी यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
8. मोहम्मद अनवर पुत्र फतेह मोहम्मद जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
9. मोहम्मद आमीन पुत्र इब्राहिम जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
10. मोहम्मद यासीन पुत्र इब्राहिम जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
11. मोहम्मद सलीम पुत्र इब्राहिम जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
12. सदीक पुत्र अलारक जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

— प्रतिवादी—

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी वादीगण
2. अधिवक्ता संदीप वर्मा प्रतिवादी सं. 2 ... 12
3. अधिवक्ता सुरेन्द्र जाखड़ प्रतिवादी संख्या 4
4. अधिवक्ता रामकिशन प्रतिवादी संख्या 12

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:25 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 210, 211, 212 वाके रोही चूरू तहसील व जिला चूरू में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है । वादी के पिता इब्राहिम का स्वर्गवास होने के बाद उनका पैतृक इंतकाल गुलाम हुसैन निवासी चूरू के नाम से दर्ज हो गया जो आज तक अंकित चला आ रहा है। वादी के पिता इब्राहिम के प्रतिवादीगण संख्या 9 से 11 पुत्र हैं। इसके अलावा वादी के अन्य कोई सन्तान नहीं है। वादी का असली नाम मोहम्मद हुसैन है। वादी का दस्तावेजी नाम मोहम्मद हुसैन है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में गुलाम हुसैन है। प्रतिवादीगण को साथ चलकर दुरूस्ती करवाने के लिए कहा गया परन्तु उन्होंने साफ इन्कार कर दिया

अत दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर खसरा 210, 211, 212 वाके रोही चूरू तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम गलत दर्ज गुलाम हुसैन पुत्र इब्राहिम को हटाकर उसके स्थान पर सही नाम दुरूस्त मोहम्मद हुसैन पुत्र इब्राहिम जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला, चूरू तहसील व जिला चूरू दर्ज फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।जिस पर प्रतिवादी सं. 2, 5 से 9, 12 की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप वर्मा व प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र जाखड़ एवं प्रतिवादी सं. 10 की ओर से श्री रामकिशन शर्मा एडवोकेट्स ने वकालतनामा पेश किया प्रतिवादी संख्या 3,1,11 पिर विधिवत तामील होने के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तथा प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर रिपोर्ट प्राप्त होने पर जवाब बन्द किया जाकर सीधी बहस सुनी गई।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते वादीगण का नाम कालुराम के स्थान पर विनोद कुमार, अनिल अनिल के स्थान पर लीलाधर, लक्ष्मी देवी के स्थान पर लिछमी किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खेत खसरा नम्बर 210, 211, 212 रोही ग्राम चूरू में वादी का नाम गुलाम हुसैन अंकित है जबकि दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में मोहम्मद हुसैन अंकित है। रिपोर्ट तहसीलदार चूरू के अनुसार मोहम्मद हुसैन तथा गुलाम हुसैन दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। तहसीलदार चूरू की ओर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गुलाम हुसैन के स्थान पर मोहम्मद हुसैन किये जाने की [illegible] की है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:25 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली, पेश [illegible] पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर तथ्यों पर मनन [illegible]। पत्रावली एवं दस्तावेजों के परिशीलन से

यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि कृषि भूमि ख. नं. 210, 211, 212 रोही ग्राम चूरू तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम मोहम्मद हुसैन के स्थान पर गुलाम हुसैन गलत अंकित चला आ रहा है जबकि वादी का नाम वास्तविक नाम मोहम्मद हुसैन ही हैं । वादी द्वारा पेश दावा एवं दावा के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की पैतृक कृषि भूमि है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम गलत दर्ज चले आने के वादी को के.सी.सी. व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हैं इसलिए उन्हें राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नामों को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादीगण का नाम दुरूस्त किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजों, शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार करने योग्य है।

निर्णय

वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजों, शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि कृषि भूमि ख. नं. 210, 211,212 रोही ग्राम चूरू तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम गुलाम हुसैन के स्थान पर मोहम्मद हुसैन किये जाने कि घाषणा की जाती है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपाल मजिस्टेट
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-I)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू कैम्प घण्टेल

ब इजलास : श्री सक्षम गोयल आई.ए.एस.

1. मोहम्मद हुसैन पुत्र मोहम्मद इब्राहिम जाति तेली निवासी वार्ड नं. 3 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.

—वादी—

<u>बनाम</u>

1. इस्माईल पुत्र कासम जाति तेली निवासी वार्ड संख्या 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
2. जाफर हुसैन पुत्र कासम जाति तेली निवासी वार्ड 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
3. युसुफ पुत्र कासम जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
4. सबिर पुत्र कासम जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राजस्थान
5. निशा पत्नी मोहम्मद यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 10 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
6. महबूब पुत्र मोहम्मद यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
7. सलमा पत्नी यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
8. मोहम्मद अनवर पुत्र फतेह मोहम्मद जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
9. मोहम्मद आमीन पुत्र इब्राहिम जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
10. मोहम्मद यासीन पुत्र इब्राहिम जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
11. मोहम्मद सलीम पुत्र इब्राहिम जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
12. सदीक पुत्र अलारक जाति तेली निवासी वार्ड नं. 03 आथुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

— प्रतिवादी—

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:25 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नं. 93 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादीगण, मिनजानिब मुदईब व अधिवक्ता संदीप वर्मा, सुरेन्द्र जाखड़, रामकिशन एडवोकेट्स प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजों, शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि कृषि भूमि ख. नं. 210, 211,212 रोही ग्राम चूरू तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम गुलाम हुसैन के स्थान पर मोहम्मद हुसैन किये जाने कि घाषणा की जाती है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करे

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12.माह मार्च सन् 2024 को जारी की गई।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपाल मजिस्टेट
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:25 IST
Reason: SelfAttested